

NOTICE

SRF Limited

Add:-The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, New Delhi, Delhi, 110091

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misaid and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s]. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Name of the holder	Kind of Securities and Face value	Certificate No.(s)	No. of Securities	Distinctive No.(s)
S C TAYAL	Equity Share of FV 10/-	149037	6	5918005-5918010
		345226-345229	63	16629843-16629905
		494226-494229	63	24649635-24649697
		90101478	20	10013650-10013669
		90126103	10	2885832-2885841
		90126103	40	7665334-7665373
		90126104	3	2885842-2885844
Folio No. S0011199		90176473	35	13185655-13185669

Place: Delhi

Date: 01/06/2024

Rakesh Chandra Tayal(Claimant)

<b>TATA</b>	<b>टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b>
<b>पंजीकृत कार्यालय:</b> 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, लोख नंद, मुंबई-400013, सीआरईएन सं: U67190MH2008PLC187552	

## माण-नोटिस

प्रतिभूति हिा (प्रवर्तन) विवर, 2002 ("विवरण") के विवरण 3 के साथ पड़ित वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिा प्रवर्तन अधिविवरण, 2002 ("अधिविवरण") की धारा 13(2) के तहत।

चूंकि आधेताहासरी अधिविवरण के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी हैं और निम्नो के निमम 3 के साथ पड़ित धारा 13 (12) के तहत प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2)के तहत पहले से ही नीचे विनांकित विस्तृत माग नोटिस जारी किए गए हैं कि यहा सूचीबद्ध ऋणी/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) (सभी एक साथ या एक साथ "दायित्वकारी") के रूप में संदर्भित/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित मांग पंजीकृत डाक पंजी, द्वारा प्रदान की जाती है और ओहोताहासरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वकारी (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि,यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर ओहोताहासरी से संबंधित अति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार पुनः नोटित किया जाता है कि उक्त दायित्वकारी (ओं) / कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर, उनके संबंधित नामों के सम्मुख नीचे दी गई राशि, साथ ही कॉलम (डी) में नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों से भुगतान की तिथि तक और/या उक्त दायित्वकारी / (ओं) द्वारा निमादित की गयी ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो,के अनुसार वसूली की तारीख तक नीचे दिए गए ब्याज के साथ उक्त राशि, टीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा है। ऋण के उचित भुगतान के लिए सुझा के रूप में, निम्नलिखित पुरोक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री दायित्वकर्ता द्वारा क्रमशः टीसीएचएफएल को निचरी खाा गया है।

ऋण खाता सं.	दायित्वकारी / (ओं) कानूनी वारिस/ कानूनी प्रतिनिधि (ओं) का नाम	नीचे दी गई तारीख को कुल बकाया देय रु.	मांग सूचना की तिथि और एनप्ले की तारीख
9949506, 10669026	श्री राजेश कुमार गुप्ता उर्फ राजेश गुप्ता (उधारकर्ता) और श्रीमती बबीता गुप्ता उर्फ बबीता और श्री अमय गुप्ता (सह-उधारकर्ता)	20 /05 /2024 तक, ऋण खाता संख्या 9949506 के तहत आपके द्वारा 65,16,794 /— रुपये (पैंसठ लाख सोलह हजार सात सौ बीससबे रुपये मात्र) की राशि देय है और ऋण खाता संख्या 10669026 के तहत आपके द्वारा 64,35,697 /— रुपये (षीसठ लाख पैंतीस हजार छह सौ सत्तावन रुपये मात्र) की राशि देय है यागुल वक़्त रु.1,29,52,491 /— (एक करोड़ उन्नीस लाख बत्तन हजार चार सौ इक्कवनबे रुपये मात्र)	21.05.2024 और 09.05.2024

**प्रतिभूति संपत्तियों / अचल संपत्तियों /गिरी संपत्तियों का विवरण**—निम्नलिखित के समी दुकड़े और अगर : (1) श्री अमय गुप्ता के नाम पर पंजीकरण 13924 दिनांक 01/08/2012 के बिकी विलेख द्वारा पंजीकृत व्यावसायिक दुकान, जिसका क्षेत्रफल 54 वर्ग गज यानी 45.15 वर्ग मीटर है, जो अप्रभन बाजार, घनश्याम रोड, कच्चा दादरी, तहसील और जिला दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, जिसमें बिकी विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाएं हैं।, सीमाएं: पूर्व— चंद्रेश की दुकान, पश्चिम— बबीता गुप्ता की दुकान, उत्तर—चंद्रेश की दुकान, दक्षिण— साहिर की दुकान।

(2) बिकी विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ, श्रीमती बबीता गुप्ता के नाम पर पंजीकरण संख्या 13923 दिनांक 01/08/2012 के तहत पंजीकृत अप्रभन बाजार, घनश्याम रोड, कच्चा दादरी, तहसील और जिला दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित, व्यावसायिक दुकान, जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग गज यानी 37.62 वर्ग मीटर है। सीमाएं: पूर्व— अमय गुप्ता की दुकान, पश्चिम— गली 06' चौडी, उत्तर— चंद्रेश की दुकान, दक्षिण— दीनदयाल की दुकान।

10100989	स्वरुपि श्री अशोक कुमार गर्ग उर्फ अशोक कुमार गुप्त श्री वैदेह कुमार गर्ग अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (उधारकर्ता) और श्रीमती लक्ष्मी स्त्री एंव श्री तरुण गर्ग और श्री अमित कुमार (सह-उधारकर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी)	28/05/2024 तक, रु.63,08,153 /— (षष्टितर लाख अठ् हजार एक सौ तिरपन मात्र)	29—05—2024 और 09—05—2024
----------	---	---	--------------------------

**प्रतिभूति संपत्तियों / अचल संपत्तियों/ गिरी संपत्तियों का विवरण**—बिकी विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ सेक्टर 28, राहरी एस्टेट फ्लैटवाइड, तहसील और जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित आवासीय मकान संख्या 338 के समी दुकड़े और अगर , जिसकी माग 160 वर्ग गज है।

\*अन्य ब्याज के साथ, जैसा कि ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कहा गया है, की दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान अटीया वसूली की तारीख तक किए गए अपेक्षित खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वकारी टीसीएचएफएल को फुलत राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त दायित्वकारी (ओं)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) के जोड़ितम और लागत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के परिणामों के संबंध में और गुप्त निम्नो के तहत उपरोक्त प्रतिभूति संपत्ति (यों) और अचल संपत्ति (ओं) के खिलाफ पूरी तरह से आगे बढ़ेगा।

उक्त बकायाशि(ओं) के कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) को उक्त अधिनियम के तहत टीसीएचएफएल की पूर्ण लिखित सहमति के बिना पूर्णक सूचित संपादित/अचल संपत्ति की बिक्री, पड़े या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निष्पत्ति किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्राधान्यो का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 02.06.2024 **हस्ता /— अधिकृत अधिकारी,**  
स्थान:- मुकुगान, फरीदाबाद **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

<b>kotak</b>
Kotak Mahindra Bank

## सूचना


**श्री मनीष किशोर शर्मा** पता: **हॉउस नंबर 41, रोड नंबर-2, पंजाबी बाग-ई, रोड नंबर-17 के पास, नई दिल्ली- 110026** द्वारा कोटक महिन्दा बैंक की **ग्राउंड फ्लोर, पाम कोर्ट-एम विल्डिन्ग, न्यू लिंक रोड, डी-मार्ट के बगल में, मलाड (पश्चिम) मुंबई 400064** स्थित शाखा में **किराये पर लिया गया लॉकर फ़िल्टे 15 वर्षों से निष्क्रिय है और फ़िल्टे 2 वर्षों से उसका किराया भी बकाया है।**

**श्री मनीष किशोर शर्मा** को इससे पहले भेजे गए सभी 3 पत्र जिनमें उनसे लॉकर को संचालित करने का निवेदन किया गया था, वापस लौट आए हैं और उपरोक्त व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया जा सकता।

अतः इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सूचना के बावजूद इस सूचना को जारी किए जाने की तिथि के 90 दिनों के भीतर **श्री मनीष किशोर शर्मा** द्वारा उक्त लॉकर का संचालन नहीं किया जाता है तो बैंक की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार उक्त लॉकर (दिनांक) **02 सितम्बर 2024 को 12 बजे के आस-पास लौट कर खोल दिया जाएगा।**

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

	प्रवर्त सं. 5
<b>ऋण वसूली अधिकरण</b>	
600/1, सुनिवसिंटी रोड, हनुमान संत मंदिर, लखनऊ	
(उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का भाग)	
<b>प्रकाशन द्वारा जवाब अधिकृत करने तथा उत्पत्थित के लिये समस्त आीएन. 2024 का 113</b>	
(ऋण वसूली अधिकरण (प्रबंधक) निम्नवासी, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पड़ित बंद तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिये समस्त)	
<b>मो बैंक ऑफ इंडीया वचन श्रीमती यमी, पत्नी जसवीर सिंह सोम तथा 2 अन्य सोम में,</b>	
<b>प्रतिनिधिमः</b>	
1) श्रीमती यमी, पत्नी जसवीर सिंह सोम) (ऋणधारक)	
निवासी: फ़्लैट नं. जीएफ-1, प्लॉट नं. 7/11 सेक्टर-2, ग़जेन्द्र नगर, सहायबाद	
साथ ही: श्रीमती यमी, पत्नी जसवीर सिंह सोम)	
निवासी: भूतल भी, प्लॉट नं. केसी - 73, ब्लॉक सी, कवि नगर, गाँजबाद,	
साथ ही <span> </span> :	
श्रीमती यमी, पत्नी जसवीर सिंह सोम) (ऋणधारक)	
निवासी <span> </span> : 9 सी, एमएफएन, डीएफ फ़्लैट, स्कॉलरस अपार्टमेंट्स गाजीपुर, ईस्ट दिल्ली, मयूर विहार फ़ेज III, नई दिल्ली	
2) श्री जसवीर सिंह सोम (सह-ऋणधारक) पुत्र श्री मेघ तन	
निवासी: फ़्लैट नं. जीएफ-1, प्लॉट नं. 7/11 सेक्टर-2, ग़जेन्द्र नगर, सहायबाद	
3) श्री अमित, पुत्र, श्री सवनीर (माँटर)	
निवासी <span> </span> : 20, अ.क. पुरम, राकेश मार्ग, गाँजबाद	
ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा विधिक प्रतिबन्धन के माध्यम से दो सेर में पत्र बुक पद्धति में अपना जवाब तथा सपथ-पत्र (पॉइ कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अपना उसके समक्षहस। विधिवत अधिकृत एजेंट न इसकी प्रति संचित करने के कब 08.07.2024 को 10.30 बजे पूर्ण में इस अधिकण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन को सुनवाई एवं निर्णय आपको अनुपस्थिति में भी जवेग।	
रजिस्ट्रार	
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ	

<b>आईबीसी, 2016 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना</b>
<b>श्री नाथ रेसेडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)</b>
<b>पंजीकृत कार्यालय 632, राजा निवास कालू कुंवा चौराहा, बादा, उत्तर प्रदेश-210001</b>

**घोषणा की तिथि: -02-06-2024**

**ई-नीलामी की तिथि: -29-06-2024 सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।**

**(दोपहर 02.00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)**

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल जेड दिल्ली द्वारा निम्नक परिसमापक द्वारा श्री नाथ रेसेडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री, दिनांक 16.02.2024 के आदेश के अनुसार (एनसीएलटी की वेबसाइट पर 05.03.2024 को आदेश अपलोड किया गया)। बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://nbid.nesl.co.in/app/login> के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकों द्वारा की जाएगी।

**ई-नीलामी की शर्तें और नियम इस प्रकार हैं और 'जो भी है' तथा 'कोई सहारा नहीं' के आधार पर आयोजित की जाएगी।**

- संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा और वचनबद्धता प्रपत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम और नतीं सुन पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट <https://neslco.in/auction-notices-under-ibc/>, पर उपलब्ध हैं। किसी भी प्रपत्र के लिए संपर्क नं. **रू श्री अराधन एन 91 93046 76709 और सुश्री गुप्ता नरुला मोबाइल: +91 84470 18554** संपर्क करें।
- इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, संपत्ति के शौचक, स्थानीय करें, बिजली और पानी के शुल्क, रखरखाव शुल्क, यदि कोई हो, के बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करना चाहिए। अपने स्वयं के खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ऊपर उल्लिखित संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है। समाविष्ट बोलीदाताओं द्वारा पूर्ण निष्पत्ति के साथ साइट पर **सुश्री अंशुल सन 011-41578410**, से संपर्क करें।
- इच्छुक बोलीदाताओं को **श्री नाथ रेसेडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन में** के खाते में **डीडी / एनईएफटी /आरटीएस / चेक के माध्यम से ब्याज राशि जमा (ईएमडी) साखी प्रमाण: 172602000000746, शाखा: कड़कड़हूय-दिल्ली, आईएफएससी कोड – IOBA0001726**, किसी भी अनुपस्थित बैंक से आहरित जमा करना आवश्यक है।
- इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी जमा करने और अनुप्रेषण पत्र के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही (1) पधवान का प्रमाण (2) वर्तमान पता-प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई-मेल आईडी (5) लैंडलाइन और मोबाइल फोन नंबर (6) अनुलग्नक-नं 1 के अनुसार वचन और शपथ पत्र (7) अनुलग्नक-नं. के अनुसार बोली आवेदन पत्र की कसौटी सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। 8) अनुलग्नक-111 के अनुसार बोलीदाता द्वारा घोषणा, अंत अनुलग्नकों के प्राश्य पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिए जा सकते हैं। ये दस्तावेज 16-06-2024 को शाम 05:00 बजे से पहले परिसमापक के कार्यालय में या ई-मेल द्वारा नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए।
- सफल बोलीदाता की ईएमडी आंशिक बिक्री प्रतिकूल के रूप में रखी जाएगी तथा असाफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लागू है। परिसमापक सफल बोलीदाता को आसय पत्र (एलओ) जारी करेगा तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी किए जाने के 80 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि – ईएमडी राशि) जमा करनी होगी। बरात कि 30 दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12प्रतिशत की दर से ब्याज लागेगा। किसी और चूक की स्थिति में परिसमापक द्वारा पूरी राशि (ईएमडी, कोई अन्य राशि) जप्त कर ली जाएगी।
- परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/विलंबित करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए किसी भी बचन में नीलामी की कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
- बिक्री प्रमाणपत्र /समझौता सफल बोलीदाता/उत्तराधिकारी/अनुपस्थितों के नाम पर जारी किया जाएगा तथा किसी भी नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
- किसी संपत्ति बोलीदाता और/या उसके प्रतिनिी/अनुपस्थी के लिए दिवाला और शोधन अधिनियम संविता 2016 (विशेष खण्ड 3) पर धारा 29(9) उत्तर के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन होगी।
- परिसमापक को बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय और किसी भी मामले में, इस आमंत्रण को संशोधित करने और/या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

<b>सुश्री अंशुल सन</b>
<b>परिसमापक – संपर्क श्री नाथ रेसेडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड</b>
<b>आईबी पंजीकरण संख्या – IBBI/PA-003/IP-N00386/2021-2022/13930</b>
<b>पता –बीआरएच इन्वेलोपेसी प्रोफेशनल्स एवरन्यू 11 (तीसरी मंजिर) हरनाविंद इन्वेलोपेस, विकास मार्ग, दिल्ली-110092</b>
<b>ई-मेल आईडी – cma.anshulsharma2020@gmail.com</b>
<b>प्रक्रिया मेल आईडी- shrimati.ctrp@gmail.com</b>
दिनांक: 02-06-2024 <b>हस्ता/— अधिकृत अधिकारी,</b>
स्थान: दिल्ली <b>कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b>

<b>kotak</b>
Kotak Mahindra Bank

## सूचना

**श्री मनीष किशोर शर्मा** पता: **हॉउस नंबर 41, रोड नंबर-2, पंजाबी बाग-ई, रोड नंबर-17 के पास, नई दिल्ली- 110026** द्वारा कोटक महिन्दा बैंक की **ग्राउंड फ्लोर, पाम कोर्ट-एम विल्डिन्ग, न्यू लिंक रोड, डी-मार्ट के बगल में, मलाड (पश्चिम) मुंबई 400064** स्थित शाखा में **किराये पर लिया गया लॉकर फ़िल्टे 15 वर्षों से निष्क्रिय है और फ़िल्टे 2 वर्षों से उसका किराया भी बकाया है।**

**श्री मनीष किशोर शर्मा** को इससे पहले भेजे गए सभी 3 पत्र जिनमें उनसे लॉकर को संचालित करने का निवेदन किया गया था, वापस लौट आए हैं और उपरोक्त व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया जा सकता।

अतः इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सूचना के बावजूद इस सूचना को जारी किए जाने की तिथि के 90 दिनों के भीतर **श्री मनीष किशोर शर्मा** द्वारा उक्त लॉकर का संचालन नहीं किया जाता है तो बैंक की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार उक्त लॉकर (दिनांक) **02 सितम्बर 2024 को 12 बजे के आस-पास लौट कर खोल दिया जाएगा।**

	<div>सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड</div> <div>Cent Bank Home Finance Limited</div>	<div>ग्रहस्था कार्यालय: 3ई/10</div> <div>मेहेनान्न तल, नव मुहूर्त भवन,</div> <div>इन्डोवाइलस एस्टेटमेंट, नई दिल्ली-110055,</div> <div>फ़ोन: 011-35000439</div>		
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुपंथी		सीआरईएन: U65922MP1991PLC006427		
परिशिष्ट IV (नियम 8 (1)) (कब्जा नोटिस) अचल संपत्ति के लिए				
<p>हस्ताक्षरकों ने जो वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और भुगतान तथा प्रतिभूति हिा प्रवर्तन एक्ट-2002 के अधिनो जो कि सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हिा प्रवर्तन 2002 के नियम 3 साथ पडित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रतिवादियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना नीचे खाते के आगे लिखित दिनांक को एक नोटिस में वर्णित राशि एवं अतिरिक्त दिनांक से ब्याज एवं अन्य प्रपत्र, सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन के भीतर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली को प्रतियोग करने की मांग करने के लिये जारी किया। असंखित ऋणी द्वारा समन का भुगतान करने में असफल रहने पर उधार लेने वाले ऋणी, जमानतदार और जनसमापक को यह सूचना दी जाती है कि ओहोताहासरी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) के अंतर्गत इस नियम में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे खाते के आगे लिखित दिनांक को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का सौकेतिक हस्त ले लिया है। उधार लेने वाले ऋणी / जमानतदार एवं ऋणिक रूप से जनसमापक को इस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति के संबंध में व्यवहार न करे एवं पूर्व संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली के खाते के आगे वर्णित टाशि दी गई एन.पी.ए.एन.डि.एन.के बाद बकाया एवं अन्य प्रमार के अधीन होगा। खाते का विवरण निम्न प्रकार है।</p>				
क्र. सं.	उधारकर्ता / गारंटर का नाम वा खाता संख्या	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि कब्जे की तिथि	मांग सूचना राशि
1.	श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री केसर सिंह और श्री जसमीत सिंह अलघ पुत्र श्री हरपाल सिंह ऋण खाता संख्या: 00604020000025	संपूर्ण मूलत और प्रथम तल, छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, प्लॉट संख्या 88, ब्लॉक: एच-1, (एच-1/88) विकासपुरी, नई दिल्ली –110018, चौहदरी- उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: संविंस रोड, पूर्व में: प्लॉट संख्या 89, पश्चिम में: प्लॉट संख्या 87	19/03/2024 29/05/2024 (सांकेतिक)	23,28,888/- + ब्याग ब्याज और अन्य शुल्क
2.	वकील अहमद पुत्र श्री निमोज अजी और श्री हारुन अहमद पुत्र श्री. वकील अहमद ऋण खाता संख्या: 00603010000307	छत के अधिकार पत्र की निमित्त मूलत, संपत्ति संख्या सी-11/106 का हिस्सा, (ब्लॉक: सी-11, प्लॉट संख्या 106) यमुना विहार-11, ब्लॉक, घोडा आवासीय योजना के अंतर्गत, इलाका शाहदर, दिल्ली-110053, चौहदरी: उत्तर में: सड़क 5 मीटर, दक्षिण में: संविंस लेन, पूर्व में: संपत्ति संख्या सी-11/105, पश्चिम में: संपत्ति संख्या सी-11/107	20/03/2024 30/05/2024 (सांकेतिक)	39,55,337/- + ब्याग ब्याज और अन्य शुल्क
स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 01.06.2024				
प्राधिकृत अधिकारी, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड।				

<div>ADITYA BIRLA CAPITAL</div> <div>PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING</div>		<div>आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत कार्यालय : सीडब्लू टेर्रास प्लॉट, वेस्टवार्ड, मुकुलपुत्र-362 266</div> <div>वित्तिकृत स्वाक्षिति : 10वां तल, एडवा टैक पार्क, बिटवॉल कैंपसकेन, हब मोड के समीप, कोटेगांव (पूर्व)</div> <div>मुंबई- 400 063, महाराष्ट्र</div>	
मांग सूचना			
प्रतिभूति हिा (प्रवर्तन) विवरणवली 2002 ("विवरणवली") के विवरण 3 के साथ पड़ित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिा प्रवर्तन अधिविवरण 2002 ("अधिविवरण") की धारा 13(2) के के अंतर्गत			
ओहोताहासरी नं आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पड़ित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माग सूचना(ओं) का हस्ताक्षर नही कर सकते। कि सूचित सूचना(ओं) में अतिरिक्त राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतता करने को कड़ा होगा। ओहोताहासरीवत सकारण विस्तार करते है कि संबंधित सूचना(ओं) माग सूचना(ओं) प्राप्त करने से बव रहे है, अतएव सूचना उन्हें मिले अथवा उत तक पहुंचे इस हतु निम्नवासी के अनुसार सूचना को स्वाम-स्थान पर विचारया जा रहा है तथा उक्त प्रकाशन किया जा रहा है। माग सूचना(ओं) की विषयवस्तु को यहां हमने नीचे प्रस्तुत किया गया है:			
उपरोक्त के संबंध में, पुनरावृत्त उक्त उधारकर्ता / विधिक उत्तराधिकारियों / विधिक प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे बीएफएल को संबंधित सूचना /ओं की तिथि से 60 दिनों के अंदर, उक्त संबंधित मांग के समाप्त एवं इसमें निम्न तालिका में उल्लेखित तिथि तक, उक्त उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित ऋणग्रामों एवं प्रदर्शकों /आवेदों, यदि कोई, के प्रति सूचना, निम्न सूचना (ओं) में अतिरिक्त सूचनाओं से भुगतान तथा अनुरोध वसूलीकरण की तिथि तक आदेशित मांग के समाप्त भुगतान कर दे। ऋण के निम्न प्रतिभूततामाग की प्राप्तिपूर्व की तिथि में निम्नलिखित सूचनाएं परिसंपत्ति(ओं) को <b>पीएचएल</b> द्वारा उक्त उधारकर्ताओं के पास भेजा: बकवन्तु किया गया है।			
क्र. सं.	अवकाश(ओं) का आगत तथा पाता	मांग सूचना तिथि एवं एचएवी तिथि	अवकाश संबंधित का विवरण
1.	मेस्स सुभाष कृष्ण बहार, इसको प्रोप्रायटरी श्री संजय मिश्रा के माध्यम से	21.05.2024 एवं 04.03.2024	माली नंबर 12 लम्बी नगर पंचायत में स्थित, गारा खुर्चेटी गारा, इतनाका साहयदर दिल्ली-110092 के क्षेत्र में <b>(संश्लिष्ट)</b>
2.	श्री संजय मिश्रा, श्री संजय मिश्रा बंधु मिश्रा	कृ. 20.05.2024	संश्लिष्ट संजय एचए-45बी-का का उपर अतिरिक्त के समाप्त सीमा तल पर एक तलक विवरण हेतु 45 अंश गारा (पूर्व) में
3.	श्रीमती रीता मिश्रा, श्री संजय मिश्रा बंधु मिश्रा, श्री रीता मिश्रा, श्री संजय मिश्रा		